न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–115/2023

भूलन प्रसाद यादव.....वादी

बनाम

धुप यादव.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
15.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 07.11.2023 आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से दिनांक 07.11.2023 को आदेश 39 नियम 01, 02 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 07.11.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी ने स्वत्व एवं अधिकार एवं दखल कब्जा की घोषणा हेतु लाया है। वादी ने नालिश के अनुतोष सं0–ख में वादी के शांतिपूर्ण दखल कब्जा वाली एराजी में प्रतिवादी को किसी तरह का हस्तक्षेप एवं मोजाहमत करने से हमेशा के लिए रोक लगाने का निवेदन किया है। वादग्रस्त भूमि का हालसर्वे खतियान में कोदई एवं बउक अहिर पिता मोहन बहिस्सा बराबर एवं बदरी अहिर पिता ननक एवं शुलक्षनी पति मनी बहिस्सा बराबर करे दर्ज है। एराजी सय तकरारी भूमि बउक अहिर पिता मोहन ने अपने दखल कब्जा में ले लियाएवं जोत आबाद करने लगें। बउक अहिर ने अपने ईलाज एवं अन्य जरूरतों के लिए एराजी सय तकरारी शिवनाथ राम को फसली संवत 1945 यानि दिनांक 09.09.1939 में मो0–95/– रूपया में शिवनाथ राम को वजरिए खेष्टा गवाह एवं पहचान के समक्ष लिख दिया और दखल कब्जा सौंप दिया। बंटवारें में वादी के पिता स्व0 शिवशंकर प्रसाद यादव के हिस्से में प्राप्त हुआ। हिस्सें में प्राप्त जमीन पर जोत आबाद होता रहा। एराजी सय तकरारी को बिक्री करने हेतु प्रतिवादी गाँव के लोगों से बातचीत कर रहा है एवं वादी के दखल कब्जा वाली भूमि पर व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। प्रतिवादी जानबुझकर उपस्थित नहीं हो रहा है तथा एराजी सय तकरारी	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–115/2023

भूलन प्रसाद यादव.....वादी

बनाम

धुप यादव.....प्रतिवादी

लगातार 15.01.2025	पर गिद्ध दृष्टि बनाए हुए है। प्रतिवादी को एराजी सय तकरारी को बिक्री करने एवं मोजाहमत करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वादों की बहुलता उत्पन्न होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि नालिश के मद सं0–02 में वर्णित भूमि को वाद के निष्तारण होने तक बिक्री करने एवं किसी तरह के मोजाहमत करने से प्रतिवादी को हमेशा के लिए रोक दिया जाय। वादी इसके लिए श्रीमान् का सैदव आभारी रहेगा। प्रतिवादी की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 06.06.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टिकोण से विचारणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा वाद स्वत्व, अधिकार एवं दखल कब्जा की घोषणा हेतु लाया गया है तथा वादी द्वारा एडभोलरम कोर्ट फी नहीं देकर घोषणात्मक शुल्क दाखिल किया गया है। वादी द्वारा तथ्य को छुपाकर प्रस्तुत वाद दाखिल किया गया है। पारा 04 में किया गया बयान गलत है कि एराजी सय तकरारी बउक अहिर पिता मोहन ने अपने दखल कब्जें में ले लिया तथा बउक अहिर ने दिनांक 09.09.1939 को शिवनाथ राय को खेष्टा लिख दिया, यह कहना वादी का सरासर गलत है। सही यह है कि खतियानी रैयत कोदई अहिर पिता मोहन अहिर के स्वामित्व एवं दखल कब्जं में विवादित खाता–37 खेसरा–69 कुल रकबा 0–4–14–0 चार कट्ठा चौदी धुर तथा खेसरा–89 रकबा एक कट्ठा नव धुर पर खतियान निर्माण के पूर्व से दखल कब्जा था। विवादित भूमि कभी भी बउक अहिर के दखल कब्जा में नहीं रहा और न ही बउक अहिर द्वारा किसी तरह का कोई विलेख ही वादी एवं उनके पूर्वजों के पक्ष में निष्पादित किया। वादी एक फर्जी एन्टीडेटेड खेष्टा तैयार कर एवं कराकर प्रतिवादी के साथ विवाद कर रहे है। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि बउक अहिर अपने भाई कोदई अहिर के	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–115/2023

भूलन प्रसाद यादव.....वादी

बनाम

धुप यादव.....प्रतिवादी

लगातार 15.01.2025	साथ रहते हुए नावल्द मर गये। वादी के निषेधाज्ञा आवेदन के पारा –01 ता 12 तक सरासर गलत बयान किया गया है। वादी द्वारा षडयंत्र कर अंचल लौरिया से वादग्रस्त भूमि के निस्वत अपने नाम जमाबंदी कायम कराया था जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में चुनौती दिया गया जो सुनवाई उपरांत वादी के दाखिल खारिज से कायम जमाबंदी को निरस्त कर दिया गया। विवादित भूमि पर प्रतिवादी का दखल कब्जा खतियान निर्माण के समय से चला आ रहा है। वादी का या वादी के पूर्वजों का एक क्षण के लिए भी दखल कब्जा विवादित भूमि पर नहीं रहा। अतः वादी का आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा मद सं0–02 अर्जी नालिश पर वादी का स्वत्व एवं अधिकार एवं दखल कब्जा की घोषणा एवं अन्य अनुतोषों हेतु लाया गया है। वादी का निषेधाज्ञा आवेदन इस आशय से दायर किया है कि प्रतिवादी जानबुझकर उपस्थित नहीं हो रहे है तथा एराजी सय तकरारी भूमि पर गिद्ध की दृष्टि बनाये हुए है तथा एराजी सय तकरारी भूमि को प्रतिवादी गाँव के लोगों से बातचीत कर रहे है तथा वादी के दखल कब्जें वाली भूमि पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में एक खेष्टा बयनामा दस्तावेज दिनांक 09.09.1939 को बउक अहिर द्वारा शिवनाथ राम को निष्पादित किया गया है, का छायाप्रति तथा हालसर्वे खतियान कोदई अहिर एवं बउक अहिर की छायाप्रति भी दाखिल किया है, वाद से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादी द्वारा इस खेष्टा बयानामा दस्तावेज के संबंध में कहा गया है कि बउक अहिर ने ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया है। प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि बेचने के	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–115/2023

भूलन प्रसाद यादव.....वादी

बनाम

ध्रुप यादव.....प्रतिवादी

लगातार 15.01.2025	संबंध में कोई प्रमाण वादी द्वारा दाखिल नही किया गया है, जिससे स्पष्ट हो कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को बेचने हेतु आमादा है। अतः सुविधा की तुला एवं संतुलन वादी के पक्ष में जाती हुई प्रतीत नही होती है। अगर निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होना भी प्रतीत नही होती है। अतः वादी का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 07.11.2023 को खारिज किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन हेतु न्यायालय का सहयोग करें। आगामी दिनांक 13.02.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	